



Email- ecpdpwdkpg@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

पत्रांक 1460 / 10 L.A.
सेवा में,

दिनांक 30/07/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 05 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.598 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/153238/2022)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 372/12-1 दिनांक 25.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	आपत्तियां	निराकरण
3	प्रस्ताव में Existing road से लामान्वित होने वाले गांव की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।	प्रस्ताव में Existing road से लामान्वित होने वाले गांव स्वर्का, रतूडा व कलाकोट की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावित विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलबा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न।
7.	प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वनभूमि पर गंदगी नहीं फेंकी जायेगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। शपथ पत्र संलग्न।
8	के.एम.एल. फाईल पर लामान्वित होने के लिये प्रस्तावित गांव के पास सनी मौजूदा सड़कों को चिन्हित किया जाय। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग-अलग चिन्हित किया जाय।	पूर्व में अपलोड किये गये के.एम.एल. फाईल पर लामान्वित होने के लिये प्रस्तावित गांव के पास नजदीकी सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग को बैगनी कलर से चिन्हित किया गया है।
9.	डम्पिंग यार्ड को जनोपयोगी कार्य हेतु उपयोग में लाया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वनभूमि प्रस्ताव पुनः स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- प्रमाण पत्र 04 नं.।

30/7/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

पत्रांक

दिनांक / /2024

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

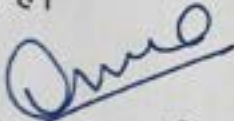
क्र.सं. 951
कृ.सं. 12-1
दिनांक 07/08/2024
संलग्न 4 नं. 2 नं. 2 नं. 2

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्काबैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक नवनिर्माण का कार्य।

प्रस्ताव में Existing road से लाभान्वित होने वाले गांव की दूरी का प्रमाण पत्र

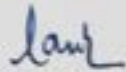
प्रमाणित किया जाता है। जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्काबैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण में स्वर्का गांव की Existing Road से दूरी 1.50 कि०मी०, रतूडा गांव की दूरी 2.300 कि०मी० , एवं कलाकोट गांव की दूरी 3.250 कि०मी० है।



अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

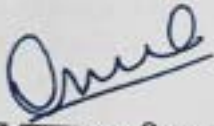


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्कावैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक नवनिर्माण का कार्य।

मलवा निस्तारण हेतु निस्तारण स्थल पर के वृक्षों का पातन न किये जाने का प्रमाण पत्र

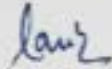
प्रमाणित किया जाता है। जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्कावैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण में मलवा निस्तारण हेतु निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में कदापि नहीं किया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्कवैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम
कलाकोट होते हुए बनियास तक नवनिर्माण का कार्य।

वन भूमि पर गन्दगी न फेंके जाने का प्रमाण पत्र

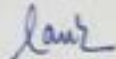
प्रमाणित किया जाता है। जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्कवैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम
कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के दौरान वन भूमि में किसी भी प्रकार
की गन्दगी नहीं फेंकी जायेगी।



अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्कवैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक नवनिर्माण का कार्य।

मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल पर मलवा डाले जाने के पश्चात समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने का प्रमाण पत्र

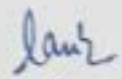
प्रमाणित किया जाता है। जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्कवैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के नव निर्माण में जो वन भूमि प्रस्तावित की गयी है, उसमें मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाएगा।



अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

Checklist for site inspection by the DFO/CF/CCF/APCCF

Project Name- Km 5 of Simli Chulaket molar road under Karunrayag assembly constituency in Namakkal district. New construction from km 5 to Swarka band to Baniyas the approved road via Harijan Basti Revenue Village.

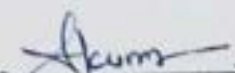
Proposal No- FP/UK/ROAD/153238/2022

Sl. No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1.	Extent in Hectares	0.595 Hectare
2.	Location (Lat – Log) of the forest land proposed for diversion.	As per georeference map attached in proposal.
3.	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	Civil soyam land and Van Panchayat land
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes
5.	Any signs of encroachment.	No
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7.	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Eco Class – V Density – 0.1-0.3 Tree marked for felling in forest – 20 And nap land -73
8.	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	No
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	No
10.	Current land use is this managed as per prescriptions in the working Plan and if not why?	NA
11.	Importance of the area from historical or religious point of view.	No
12.	Any dependent persons/ families on this land.	No
13.	Any displacement of persons proposed.	No
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected ? Is there any	No

	dissenting voice among the persons proposed to be displaced ?	
15.	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current working plan prescription for the area ? Distance of the non – forest land for CA from the nearest forest area. Number of Patches in case the area should be more than to Kms.	Gap filling plantation.
16.	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	Not is falls in any WLS. The proposed area is 25.3 Km from nearest Kedranath Wildlife Sanctuary.
17.	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	No
18.	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	—
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	No
20.	Alternatives examined by the User Agency in case of non – site specific project	Yes (Copy enclosed)
21.	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non – forestry purpose is bare minimum.	Yes
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	—
23.	Any other issue of significance.	—
24.	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project	Public welfare

Signature :

Name :


Sarvesh Kumar

Designation :

Divisional Forest Officer

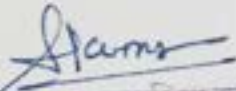
Seal :

प्रभागीय वनाधिकारी
बर्दीनाथ वन प्रभाग,
गोरेखरा

प्रस्ताव का नाम— जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-घूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होतु हुये बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण 0.595 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पौध-रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जायेगा।


प्रधानाध्यक्ष वनाधिकारी
बन्नीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वरा

Wildlife Management Plan and Soil Moisture Conservation Plan



Proposal Name

जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 5.00 से स्पर्का बैंड से
हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग
बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.595 है० वन भूमि का
लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

Distt.

Chamoli

Estimated cost (Lacs)

1.70

Estimated no. & date

Year

2023-24

Detail of Measurement

Detail of Measurement

Particulars of Item	Nos.			Length (m)	Width (m)	Height (m)	Quantity	Unit
Excavation for Structures Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Ordinary soil Upto 3 m depth								
	2	x	1	5.00	4.00	1.00	40.00	cum
Drain	4	x	1	6.00	0.30	0.25	1.80	cum
						Total	41.80	cum
2 Random Rubble Stone Masonry laid Dry, In breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification								
	2	x	1	6.20	0.60	0.25	1.86	cum
	4	x	1	4.00	0.60	0.30	2.88	cum
						Total	4.74	cum

CIS

[Signature]
 20/05/2024
 12

[Signature]
 20/05/2024
 12

Summary Of Estimated Cost

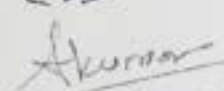
S No.	ITEM	UNIT	SOR / DSR	QTY	RATE	AMOUNT
A	Wildlife Management Plan (2.00 %)					
1	Contour Trenches	meter	Departmental	225 00	104 36	23481 00
2	Kala Bansa, Gajar Ghas, Lantana elimination	ha	Departmental	6 00	Annexure	63000 00
3	Awareness Promotion		La	1 00	50000 00	50000 00
Total						136481 00
say in lacs						1 36
A	Soil Moisture Conservation Plan (SMC Work) (0.50 %)					
1	Construction of Chal khai	Cum	Paid SOR	2 00	Annexure	34000 00
Total						34000 00
say in lacs						0 34

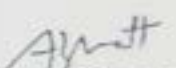
015

प्रमाणित वनाधिकारी
बुद्धिनाथ वन प्रभाग नौपेक्षर
(घण्टी)

Name of work :- चाल खाल निर्माण कार्य। (गूदा जल संरक्षण कार्य)

S. No	ITEM	UNIT	SOR / DSR	QTY	RATE	AMOUNT
1	Excavation for Structures Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 Including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Ordinary soil Upto 3 m depth	Cum	11-1-1-1 MORD	41.80	426.90	17844.42
2	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	Cum	1-3 MISS	4.74	2422.60	11483.12
			Total			29327.54
3	Add 18% GST					5278.96
			Total			34606.50
			say			34000.00

CIS

 प्रभागीय सहायक निरीक्षक
 पदवीनाथ वन प्रभाग मोरेश्वर
 (सपोली)


 वन सहायक निरीक्षक
 गिरिचमी विण्डर राउट
 गन्नासुपानगाव तालुका

वन्यजीवों के विकास का प्रबन्धन योजना

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर घमोली।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि (रु०)
0	1	2	3	4	5
A लेटाना/कालाबास/गाजर घास झाड़ी					
प्रथम वर्ष					
1	लेटाना/कालाबास/गाजर घास झाड़ी को जड़ सहित उखाड़ना।	4.50	है०	9341.00	42034.50
2	कालाबास को जड़ से उखाड़ना एवं नष्ट करना/गद्दे में दबाकर अथवा जलाकर	4.50	है०	3132.00	14094.00
द्वितीय वर्ष					
1	लेटाना/कालाबास/गाजर घास झाड़ी को जड़ सहित उखाड़ना। (33 प्रतिशत)	0.59	है०	3082.00	1802.97
2	कालाबास को जड़ से उखाड़ना एवं नष्ट करना/गद्दे में दबाकर अथवा जलाकर	0.59	है०	1031.00	603.14
तृतीय वर्ष					
1	लेटाना/कालाबास/गाजर घास झाड़ी को जड़ सहित उखाड़ना। (10 प्रतिशत)	0.45	है०	934.00	420.30
2	कालाबास को जड़ से उखाड़ना एवं नष्ट करना/गद्दे में दबाकर अथवा जलाकर	0.45	है०	312.00	140.40
total (A)					59095.31
B नमक आपूर्ति करना					
1	वन्यजीवों के कलशियम आपूर्ति हेतु नमक प्रयुक्त करना।	140.00	किलो	30.00	4200.00
total (B)					4200.00
Total (A+B)					63295.31
or say					63000.00

अधीक्षक वन प्रभाग
गोपेश्वर वन प्रभाग गोपेश्वर
(गोपेश्वर)

अधीक्षक वन प्रभाग
गोपेश्वर वन प्रभाग गोपेश्वर
(गोपेश्वर)